

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 3482 /11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांक: मई 21, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय:- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस०एच०-1, किमी० 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लि० द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/४६/२०१७/एफ०सी०/४४४, दिनांक 05.12.2023 एवं आपका पत्रांक-2790/2-6, दिनांक 20.05.2024

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त पुनः निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

1. ऑनलाइन पार्ट-2 के क्रमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है, जबकि एन०पी०वी० की गणना में 0.4 है।
अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑनलाइन पार्ट-2 में फीड करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमी का निराकरण कर भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्ति का संशोधित निराकरण संस्तुति सहित ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय



(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3482 /11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
2. डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी।



(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।